

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 1531, 1532 व 1533/2014 जिला : जयपुर.....  
 उन्वान:- मैसर्स माईक्रोमैक्स इन्फॉरमेटिक्स लि. बनाम जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
 प्रतिकरापवचन, राजस्थान-प्रथम, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
10.09.2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u>  <b>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</b>  <b>श्री मदल लाल, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी के ओर से श्री वरुणराज खन्ना, चरिष्ठ प्रबंधक, वित्त एम विभाग की ओर से श्री नरेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उपस्थित।</p> <p>यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक 25.08.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, राजस्थान-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 व 2012-13 व 2013-14 के लिये पारित पृथक्-पृथक् कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.07.2014 में व्याज मांग शर्तियों में जो अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शरित शर्तों की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष रू. 7,56,820/-, रू.85,42,780/- व रू. 73,73,722/- पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाने के कारण अपीलीय अधिकारी के आदेश को विवादित किया गया है।</p> <p>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी टेबलेट का व्यवसाय करता है जिसकी बिक्री अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम के अन्तर्गत मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से की है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी का मानना है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टेबलेट (आई पैड), मोबाइल एवं लेपटॉप आदि की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है और उसका द्वारा विक्रीत वस्तु टेबलेट (आई पैड) अधिनियम की अनुसूची I, II, III, IV and VI की किसी भी प्रविष्टि में उल्लेखित नहीं होने के कारण अनुसूची चतुर्थ अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करारपत्र किया जाना मानकर कर, व्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शरित शर्तों आरोपित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, व्याज एवं शरित शर्तों पर अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शरित शर्तों पर स्थगन प्रदान करते हुए कर व अनुवर्ती व्याज की मांग शर्तियों पर स्थगन हेतु स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के ओर से श्री वरुणराज खन्ना, द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी टेबलेट का व्यवसाय करता है, जिसकी बिक्री अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम के अन्तर्गत मानते</p>	

10.09.2014

कम्प्यूटर सिस्टम एवं मेसिफेरल्स को परिभाषित नहीं किया गया है अतः सूचना हुए 5 प्रतिशत की दर से की है। उनका कथन है कि वैंट अधिनियम के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उपलब्ध कम्प्यूटर की परिभाषा से लेबलेट आच्छादित होने के कारण टेबलेट अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 से आच्छादित होने से उसके द्वारा टेबलेट की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई है। विशिष्ट रूप से इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.05.2013 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि कस्टम टैरिफ के तहत टेबलेट को कम्प्यूटर हेडिंग में शामिल किया गया है। अतः उक्त 5 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य है। पुनः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों को दोहराते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित अवशेष राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से श्री नरेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टेबलेट (आई पैड), मोबाईल एवं लेपटॉप आदि की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है और उसके द्वारा विक्रीत वस्तु टेबलेट (आई पैड) अधिनियम की अनुसूची I, II, III, IV and VI की किसी भी प्रविष्टि में उल्लेखित नहीं होने के कारण अनुसूची चतुर्थ अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है। कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत जारी अनुसूचीयों के तहत वस्तु विशेष पर विशिष्ट दर अधिसूचित होने की दशा में, विशिष्ट दर ही लागू किये जाने योग्य है एवम् जारी अनुसूचीयों में टेबलेट विशेष रूप से अंकित नहीं होने के कारण 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के जरिये टेबलेट के विक्रय पर आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को विधिसम्मत होना प्रकट कर, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग में होना अवधारित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। अवशेष कर दर पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी व दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों व अधिनियम के तहत जारी अनुसूचीयों का अवलोकन के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हस्तगत प्रकरण में कर दर का सारभूत विधिक महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तर्वलित है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर, वसूली योग्य मांग राशि शेष रु. 7,56,820/-, रु.85,42,780/- व रु. 73,73,722/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः


लगातार.....3

10.09.2014

ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि ये उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
10.9.2014  
(मदन लाल)  
सदस्य

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य